अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला..... सं0..... सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

19.07.2013

21/8/2013

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 286/2013

राजेश्वर यादव — अपीलार्थी

वनाम

राज्य एवं अन्य — प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी राजेश्वर यादव, पिता– स्व0 मोती यादव, साकिम वो पोस्ट– जरैला, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला– सुपौल द्वारा दुखी पंडित, पे0 – स्व0 बुधाय पंडित, साकिम वो पोस्ट– जरैला, थाना– त्रिवेणीगंज, जिला– सुपौल के प्रश्नगत जमीन मौजा थलहागढ़िया खाता 410 खेसरा 2978 पू0 ,5164 नया रकबा 0–1–15 पर न्यायालय सक्षम प्राधिकार सह भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज में भूमि विवाद वाद संख्या 142/12–13 में पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

अपीलार्थी का कथन है कि उक्त जमीन कारी पंडित ने सन् 1948 ई0 में खरीद किया था वो जमाबंदी भी कारी पंडित के नाम से कायम हुई थी। अपीलकर्त्ता राजेश्वर यादव वो उत्तरवादी दुखी पंडित एक ही गॉव के रहने वाले व्यक्ति हैं और उत्तरवादी दुखी पंडित के पुत्र रंजीत पंडित वो अपीलकर्त्ता के पुत्र बुचाय यादव के बीच गहरी दोस्ती थी । रंजीत पंडित एवं बुचाय यादव ने मिलकर विवादी जमीन मवाजी 1 क0 15 धूर विजेन्द्र पंडित पिता श्री किसुन पंडित से जमीन खरीदने की बात तय किया था। जिसमें बुचाय यादव ने जमीन की आधी कीमत मो0 60000/– रूपये रंजीत पंडित को दिया था वो रंजीत पंडित ने बुचाय यादव को विश्वास दिलाया था कि जमीन दोंनों आदमी के संयुक्त नाम से लिखवायेंगे। रंजीत पंडित ने बुचाय यादव को धोखा देकर अपने पिता दुखी पंडित के नाम से बजरिये दस्तावेज संख्या 1065 दिनांक 27.02.12 द्वारा विवादी जमीन का निबंधन करवा लिये। अपीलकर्त्ता वो बुचाय यादव द्वारा अग्रिम के रूप में दी गयी मो0 60000/– रूपये वापस करने की बात उत्तरवादी प्रथम पक्ष वो उनके पुत्र रंजीत पंडित से किये तो उत्तरवादी प्रथम पक्ष वो रंजीत पंडित ने उक्त साठ हजार रूपये वापस नहीं करने वो उक्त जमीन का निबंधन करने से इंकार किये। अपीलकर्त्ता का यह भी कथन है कि इस संबंध में ग्राम कचहरी के सरपंच तथा ग्रामीण पंचों के समक्ष पंचायत भी हुई जिसमें पंचों ने निर्णय लिये कि रंजीत पंडित ने जो जमीन अपने पिता दुखी पंडित के नाम से रजिस्ट्री लिया है उसमें बुचाय यादव को खाता नं0– 410 खेसरा नं0 2978 की 17 धूर 10 धूरकी जमीन लिख दें या

60000/– रूपये जो बुचाय यादव से लिया है साधारण व्याज के साथ आवेदक को अदा कर दें लेकिन प्रतिपक्षी रंजीत पंडित ने न जमीन रजिस्ट्री किया और न रूपये ही बुचाय यादव को वापस किया। उत्तरवादी प्रथम पक्ष वो उनके पुत्र रंजीत पंडित द्वारा अपीलकर्त्ता एवं उनके पुत्र के साथ धोखाधड़ी को गैरकानूनी कार्य किया है जो ग्राम पंचायत थलहा गढ़िया वाद संख्या 98/13 बुचाय यादव बनाम रंजीत पंडित के आदेश दिनांक 15.12.12 से साबित होगा।

प्रत्यर्थी जो निम्नन्यायालय में वादी थे के द्वारा निम्नन्यायालय में कहा गया है कि प्रतिवादीगण बिना किसी आधार के प्रश्नगत जमीन पर दावा करते हुए वादी के पुत्र रंजीत पंडित को प्रश्नगत जमीन जोतते हुए रोक दिया है तथा वादी को बेदखल कर दिया है। मारपीट की घटना भी घटी। त्रिवेणीगंज थाना में प्राथमिकी संख्या 97/12 दर्ज किया गया है। वर्तमान में दण्ड प्रकिया संहिता की धारा–107 के अन्तर्गत अनुमंडल दण्डाधिकारी, त्रिवेणीगंज के न्यायालय में मामला विचाराधीन है। यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल जबाब में किया गया दावा गलत है। केवल बाहुबल के आधार पर प्रश्नगत जमीन के अंश भाग पर अवैध ढंग से नाद खूँटा गाड़कर गैरकानूनी दावा किया गया है। ग्राम कचहरी के सरपंच तथा ग्रामीण पंचायत में राजनैतिक विद्वेषता के कारण सही फैसला नहीं किया जा रहा है।

निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि प्रश्नगत जमीन के जमाबंदी रैयत कारी पंडित रहे हैं। जमाबंदी रैयत के उत्तराधिकारी से प्रथम पक्ष दुखी पंडित ने निबंधित केवाला संख्या 1065/12 द्वारा प्रश्नगत जमीन कय किया है। जमाबंदी संख्या 934 बनाम दुखी पंडित अंचल सिरिस्ता में कायम है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पुत्र रंजीत पंडित तथा प्रतिवादी बुचाय यादव के बीच मित्रता के कारण संयुक्त रूप से जमीन कय करने की बात कही गई है। परंतु इसके लिए कोई बैध दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तसुत नहीं किया गया है।ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच के द्वारा पैसे की लेने –देन रंजीत पंडित तथा बुचाय यादव के बीच होने का प्रतिवेदन दिया गया है परंतु जमीन दुखी पंडित द्वारा निबंधित विकय पत्र लिया गया है। निबंधित विकय पत्र केवाला संख्या 1065/12 में स्पष्ट है कि दुखी पंडित ने प्रश्नगत जमीन कय किया है। जमीन के बिना किसी बैध दस्तावेज के आधार पर उस पर दखल–कब्जा कर लेना गैरकानूनी है। प्रश्नगत जमीन को वादी दुखी पंडित ने निबंधित दस्तावेज संख्या 1065/12 द्वारा विजेन्द्र पंडित से उचित जरसम्मन अदा कर कय किया है। दखल– कब्जा तथा निबंधित दस्तावेज के आधार पर अंचल नामांतरण आदेश से जमाबंदी संख्या 934 बनाम दुखी पंडित कायम है । द्वितीय पक्ष को जमीन संबंधित कोई बैध दस्तावेज प्राप्त नहीं है। बुचाय यादव द्वारा यदि राशि आदान प्रदान की बात है तो दुखी पंडित के साथ नहीं है। इसलिए दुखी पंडित के द्वारा कय की गई जमीन पर नाद, खूटा गाड़कर उस पर दखलकर लेना गैरकानूनी है। राशि लेन– देन की बात रंजीत पंडित, पे0 दुखी पंडित के साथ यदि है, तो इसे सिविल न्यायालय में सिद्ध करना चाहिए । उक्त परिपेक्ष्य में प्रस्तुतवाद को स्वीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष के दावे को खारिज किया जाता है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का सुना एवं अभिलेख/तथ्यों

के विवेचन से यह पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

(पंकज कुमार)
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशेधित